बिहार राज्य निर्वाचन प्राधिकार

बैरक संख्या-11, पुराना सचिवालय, पटना-800015

फोन- 0612-2231563, फैक्स नं. : 0612-2231562, बेबसाईट : **www.bsea.bih.nic.in**

सं॰सं॰-नि॰प्रा॰/नि॰ 1-69/2009 - 409 /पटना, दिनांक 22 मई, 2009

प्रेषक,

एन० एस० माधवन
मुख्य चुनाव पदाधिकारी।

सेवा में,

<u>सभी जिला दण्डाधिकारी-सह-जिला निर्वाचन पदाधिकारी(स०स०)।</u>

विषय : पैक्स निर्वाचन, 2009 : दण्डाधिकारी/आरक्षी अधिकारियों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन करने के सम्बन्ध में।

महाशय,

पैक्सों के चुनाव ग्राम पंचायत स्तर पर आयोजित होने के कारण काफी संवेदनशील हो सकते हैं। इस परिप्रेक्ष्य में शांतिपूर्ण एवं निष्पक्ष चुनाव संपन्न कराने में दण्डाधिकारियों एवं आरक्षी पदाधिकारियों/आरक्षियों की भूमिका अत्यंत अहम् होगी, क्योंकि विधि-व्यवस्था के संधारण, जनसाधारण के लिए भयमुक्त माहौल उपलब्ध कराने एवं व्यक्तिगत स्पर्धा के चलते उत्पन्न तनाव को कम करने की जिम्मेवारी उन्हीं के ऊपर होती है। संगत सहकारिता अधिनियम/नियमावली के प्रावधानों एवं प्राधिकार के निदेशों के उल्लंघन की स्थिति में उत्तरदायी व्यक्तियों के विरूद्ध त्वरित आवश्यक कानूनी कार्रवाई करने की जिम्मेवारी भी आरक्षी पदाधिकारियों की ही है। अत: यह अत्यंत आवश्यक है कि दण्डाधिकारी/आरक्षी पदाधिकारी अपने अधिकारों एवं दायित्वों से भली-भाँति परिचित रहें, एवं अपने कर्त्तव्यों का निर्वहन पूरी निष्पक्षता एवं दृढ़ता के साथ करें।

2. उक्त परिप्रेक्ष्य में प्राधिकार के पत्रांक 344 दिनांक 12.05.09 द्वारा संसूचित जिला स्तरीय प्रशिक्षण कार्यक्रम की समाप्ति के पश्चात्, जिला पदाधिकारी-सह-जिला निर्वाचन पदाधिकारी(स0स0) जिला मुख्यालय में अपने अधीनस्थ सभी आरक्षी उपाधीक्षकों, आरक्षी निरीक्षकों एवं थाना प्रभारियों के लिए अलग से एक उन्मुखीकरण सह प्रशिक्षण शिविर जून, 2009 के प्रथम सप्ताह में सुविधानुसार आयोजित करेंगे जिसमें निम्नलिखित बिन्दुओं पर जानकारी दी जायेगी-

(i) अभ्यर्थियों एवं सरकारी कर्मियों द्वारा आदर्श आचार संहिता का अनुपालन

(ii) सरकारी सेवकों का आचरण

(iii) अभ्यर्थियों द्वारा भारतीय दंड संहिता की धारा 171एच के उल्लंघन में धन बल का आडम्बरपूर्ण प्रदर्शन एवं उपयोग

(iv) अभ्यर्थियों द्वारा निर्वाचन व्यय की सीमा

(v) निर्वाचन अवधि के दौरान विधि-व्यवस्था का समुचित संधारण

(vi) संवेदनशील निर्वाचन क्षेत्रों/मतदान केन्द्रों की पहचान

(vii) मतदान केन्द्र पर कब्जा रोकने हेतु विशेष उपाय

(viii) अवैध हथियारों का उद्भेदन करने हेतु विशेष अभियान

(ix) आवश्यकता महसूस होने पर नियमानुसार लाइसेंस प्राप्त शस्त्रों को जमा कराना

(x) निर्वाचन बैठकों में मदिरा बाँटना

(xi) मतदान तिथि के दिन मतदाताओं को ढोने हेतु वाहनों के उपयोग पर प्रतिबंध

(xii) निर्वाचन अवधि एवं मतदान के दिन परिवहन को नियंत्रित करना

(xiii) सार्वजनिक एवं निजी संपति के विरूपण पर रोक

(xiv) चुनाव प्रचार के दौरान लाउडस्पीकरों एवं वाहनों के उपयोग पर रोक

(xv) प्राधिकार अधिनियम, 08 की धारा 6(4) के उल्लंघन में निर्वाचन पैम्पलेट एवं पोस्टर का प्रकाशन

(xvi) यह सुनिश्चित करना कि चुनाव प्रचार कार्य से नागरिकों के शांतिपूर्ण जीवन जीने के अधिकार का हनन न हो एवं लोक शांति तथा प्रशांति (public peace & tranquility) किसी भी स्थिति में भंग न हो।

आरक्षी अधिकारियों के प्रशिक्षण में पूरी निर्वाचन प्रक्रिया के दौरान विधि–व्यवस्था संधारित करने के उनके उत्तरदायित्व के अतिरिक्त शांतिपूर्ण, स्वतंत्र एवं निष्पक्ष निर्वाचन सुनिश्चित कराने हेतु प्राधिकार द्वारा समय–समय पर दिये गये निदेशों का सम्यक् अनुपालन सुनिश्चित कराने पर विशेष बल दिया जाना चाहिए। आरक्षी पदाधिकारियों को निर्वाचन संचालन एवं मतदान/मतगणना की प्रक्रिया की भी कार्यकारी जानकारी उपलब्ध करा देनी चाहिए ताकि किसी व्यतिवम अथवा उल्लंघन की स्थिति में वे निर्वाचन कार्य से जुड़े अधिकारियों के साथ अपेक्षित कदम उठा सकें।

इस उन्मुखीकरण सह प्रशिक्षण शिविर में जिला प्रशासन के वे असैनिक पदाधिकारी भी भाग लेंगे जिन्हें दण्डाधिकारी के रूप में नियुक्त किया गया है। ऐसे प्रशिक्षण में असैनिक एवं आरक्षी प्रशासन के वरिष्ठ पदाधिकारी निश्चित रूप से मौजूद रहेंगे।

अनु०-यथोक्त ।

विश्वासभाजन,

ह0/–

(एन० एस० माधवन)

मुख्य चुनाव पदाधिकारी

ज्ञापांक : 409 /पटना, दिनांक 22 मई, 2009

प्रतिलिपि : सभी आरक्षी अधीक्षक को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0/–

मुख्य चुनाव पदाधिकारी

ज्ञापांक : 409 /पटना, दिनांक 22 मई, 2009

प्रतिलिपि : सभी प्रमण्डलीय आयुक्त/आरक्षी उप महानिरीक्षक को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित। कृपया अपने स्तर से भी उक्त प्रशिक्षण कार्यक्रम को सफलतापूर्वक संपन्न कराने हेतु संबंधित अधिकारियों को आवश्यक निदेश निर्गत करने की कृपा करे।

ज्ञापांक : 409 /पटना, दिनांक 22 मई, 2009

प्रतिलिपि : प्रधान सचिव, सहकारिता विभाग, बिहार, पटना/निबंधक, सहयोग समितियाँ, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0/–

मुख्य चुनाव पदाधिकारी